भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2142

उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना

2142. **श्री विनोद लखमशी चावड़ा:**

श्री जुगल किशोर:

श्री विजय कुमार दूबे:

श्री शंकर लालवानी:

श्री जनार्दन मिश्रा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्षमता निर्माण निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य और शैक्षिक सामग्री के निर्माण में सहायता देने के लिए कौन से विशेष कार्यक्रम या साझेदारी शुरू की गई/बनाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रयास करने का प्रावधान किया गया है। एनईपी के तहत सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और जहाँ तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा रखने का प्रावधान करती है। नीति में घरेलू भाषा/मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने और शिक्षकों को पढ़ाते समय द्विभाषी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान है। एनईपी की सिफारिशों के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय

तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) सहित विभिन्न हितधारकों को मातृभाषा/भारतीय भाषाओं में शिक्षा के माध्यम के लिए विभिन्न भाषाओं में साहित्य और शिक्षा सामग्री बनाने का निर्देश दिया गया है। विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों और उनके स्वायत्त निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमता निर्माण निधि का उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने का सुझाव दिया गया है, ताकि युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र से लेकर कार्यस्थल तक और वहां से उनकी आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए भारतीय भाषा आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) भाषा संगम कार्यक्रम संचालित कर रहा है, साथ ही मशीनी अनुवाद कक्ष भी है जो विभिन्न पुस्तकों का अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने भी अपने संबद्ध स्कूलों से कहा है कि वे भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में उल्लिखित भारतीय भाषाओं को आधारभूत चरण से लेकर माध्यमिक स्तर के अंत तक अर्थात प्री-प्राइमरी कक्षाओं से लेकर कक्षा 12 तक अन्य मौजूदा विकल्पों के अलावा वैकल्पिक माध्यम के रूप में शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने पर विचार करें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने तकनीकी पुस्तकों सहित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए अनुवादिनी ऐप का लाभ उठाया है। अनुवादित पुस्तकें ई-कुंभ पोर्टल पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) और सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) 13 भाषाओं में आयोजित की गई हैं। एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित कुछ संस्थानों में इंजीनियरिंग शिक्षा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में दी जा रही है। पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण संसाधनों सहित पाठ्यक्रम सामग्री डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पोर्टल पर 33 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने ओपन सोर्स में 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं के लिए भाषण और पाठ अनुवाद के लिए कोर भाषा प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2022 में मिशन डिजिटल इंडिया भाषिनी की शुरुआत की है। पाठ और आवाज में भाषा अनुवाद के लिए भाषिनी ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) को एपीआई सेतु (https://apisetu.gov.in) पर सूचीबद्ध किया गया है। भाषिनी एपीआई किसी भी एप्लिकेशन के साथ एकीकृत करने के लिए उपलब्ध हैं।

*****